राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप—10) विभाग

क्रमांक प. र.रिपोर्ट / 2—7(7)विविध / अभि / 15 जयपुर, दिनांक 23/12/15

परिपत्र

इस विभाग द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में प्रशासन, पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय हेतु संयुक्त बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में पत्र कमांक र.3(16)स्था / अभि / 92 / पार्ट—II / 14505—536 दिनांक 17.11.99 (प्रति संलग्न) की निरन्तरता में जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की जाती है, जिसमें जिले के सहायक निदेशक अभियोजन सदस्य सचिव एवं जिले में पदस्थापित समस्त वृत्ताधिकारी सदस्य होगें।

प्रत्येक माह में एक बार उक्त समन्वय समिति की बैठक अवश्य आयोजित की जावे, जिसमें पुलिस व अभियोजन से सम्बन्धित कार्यो में आने वाली कठिनाईयों, समस्याओं व कार्य में सुधार पर विचार—विमर्श किया जावे एवं समस्याओं के निदान हेतु समुचित कार्यवाही की जावे।

बैठक का कार्यवाही विवरण इस विभाग को भेजते हुए प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समन्वय समिति की होने वाली त्रैमासिक बैठक में इसकी समीक्षा की जावे। जिला मजिस्ट्रेट की त्रैमासिक बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त भाग लेगें। इस समिति के सदस्य सचिव भी सहायक निदेशक अभियोजन होगें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

23/12/15

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ठ शासन सचिव,गृह(विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
1. निदेशक, अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान
5. समस्त उप / सहायक निदेशक अभियोजन,राज.

विशिष्ठ शासन सचिव,गृह(विधि)